न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना जिला श्रीगगांनगर

महावीर बनाम स्टेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट
प्रकरण संख्या :– 612/2022
प्रकरण संख्या (GCMS) :– 2022/295

12.07.2022 यह पत्रावली प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत जरिये वकील श्री हरजीत सिंह थिन्द के प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करके अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.07.2022 को पेश हो।

25/07/22 पत्रावली पेश। श्रीमान पी.ओ. साहब ~~अन्य कार्यों में व्यस्त~~/अवकाश पर/ ~~मुख्यालय से बाहर है~~। पत्रावली पूर्वानुसार दि. 02.08.22 को पेश हो।

02/8/22 पत्रावली पेश। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसील रिपोर्ट प्राप्त। वकील प्रार्थी द्वारा बहस की गई। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि विवादित भूमि प्रार्थी को जरिये उपहार पत्र प्राप्त हुई है जिसमें प्रार्थी का नाम महावीर ~~पुत्र~~ पुत्र मनुराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम महावीर पुत्र मनुराम दर्ज है। इसलिए प्रार्थी ने उक्तानुसार नाम दुरुस्त किए जाने का निवेदन किया। स्टेट की ओर से राजपैरोकार द्वारा कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र

स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।
अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील घड़साना के
चक 7 KWM के प.नं. 154/43 मु.नं. 31
के किला नं. 1 ता 3 व 5/1 की कुल 1.000
हैक्टेयर कृषि भूमि जो कि महावीर प्रसाद
पुत्र मनुराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में
दर्ज है, को दुरूस्त किया जाकर महावीर
पुत्र मनुराम के नाम दर्ज किए जाने के
आदेश दिए जाते हैं एवं तहसीलदार
घड़साना को आदेशित किया जाता है कि
इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद करें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील
होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.8.22
को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया
जाकर सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना